पत्रावली पेश नहीं। [illegible] ने आज [illegible] स्थगन कर रखा है। [illegible] आदेशानुसार दिनांक 28/05/25 को पेश हो।

Gcms-2019/00142

28/05/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिया उप0। पूर्व में तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थिया सुनी गयी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थिया पर सगौर मनन किया गया। चूंकि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी ग्राम छापर के हाल भूमि ख0नं0 1041, 1042, 1043 के नक्शे में दूरी ख0नं0 1032 से 300 मीटर के स्थान पर 304 मीटर कराना चाहता हैं। ग्राम छापर का साबिक ख0नं0 578 जिसके नए ख0नं0 1041 ता 1043 की उत्तर दक्षिण सींव की लम्बाई समान पायी गई हैं। इस प्रकार प्रार्थी के साबिक व हाल नक्शे की दूरी में कोई अन्तर नहीं पाए जाने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाने योग्य नही पाया जाने पर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.06.03 11:17:44 IST
Reason: SelfAttested